

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
॥ अधिसूचना ॥

पटना-15, दिनांक : 9 अगस्त, 2019


संख्या : 1/सी0-1011/2018-सा0प्र0-11119/श्री सुधीर कुमार, भा0प्र0से0 (बी एच : 88), प्रधान सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार-प्रधान सचिव, गन्ना उद्योग विभाग) को शीर्ष वेतनमान (स्तर-17-रु. 2,25,000/-नियत) में प्रोन्नति प्रदान करते हुए अगले आदेश तक उन्हें अपर मुख्य सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

2. श्री कुमार की आलोच्य प्रोन्नति शीर्ष वेतनमान का प्रभार ग्रहण किये जाने की तिथि से प्रभावी होगी।

3. उपर्युक्त आलोक में श्री सुधीर कुमार द्वारा शीर्ष वेतनमान का प्रभार ग्रहण किये जाने की तिथि से अपर मुख्य सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना का पद उनके पदस्थापनकाल तक के लिए शीर्ष वेतनमान में उत्क्रमित माना जायेगा।

4. श्री कुमार अगले आदेश तक गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार कौशल विकास मिशन, पटना के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,


9.8.19
(कन्हैया लाल साह)


सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक :: 1/सी0-1011/2018-सा0 प्र0-11119...../पटना-15, दिनांक 9 अगस्त, 2019

प्रतिलिपि :- प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ/सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नॉर्थ ब्लॉक, नयी दिल्ली/संस्थापन पदाधिकारी, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली/कैरियर मैनेजमेंट डिवीजन, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली/स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, कौटिल्य मार्ग, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली/महालेखाकार (ले. एवं ह.), बिहार, पटना/विकास आयुक्त, बिहार, पटना/राज्यपाल, बिहार के प्रधान सचिव, पटना/संबंधित विभाग/संबंधित पदाधिकारी/मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना/मुख्य सचिव, बिहार के गोपनीय कोषांग, कम्प्यूटर सेल/अवर सचिव(वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग), वित्त विभाग, बिहार, पटना/आई0 टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने एवं वित्त विभाग को सी0डी0 के साथ उपलब्ध कराने हेतु)/सामान्य प्रशासन विभाग के प्रशाखा पदाधिकारी (प्रशाखा-1 एवं प्रशाखा-6) को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. प्रोन्नत पदाधिकारी एफ आर 22(1)(ए)(2) के निम्नांकित प्रावधान के तहत आवश्यकतानुसार विकल्प का प्रयोग कर सकते हैं:-

"Under FR 22(1)(a)(2) also there is a provision that on appointment on regular basis to such new post, other than to an ex-cadre post on deputation, the Government servant shall have the option, to be exercised within one month from the date of such appointment, for fixation of his pay in the new post with effect from the date of increment in the old post."


9.8.19
सरकार के अवर सचिव